

 <p><b>Rajasthan Police</b></p>	<p>AHTU – JODHPUR WEST</p> <p>DATE-20-03-2024</p>	
--	---	---

## प्रेस नोट

मानव तस्करी विरोधी यूनिट जिला जोधपुर पश्चिम द्वारा बाल श्रम के विरुद्ध कार्यवाही एवं रेस्क्यू।

आज दिनांक 20.03.2024 को पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर द्वारा बाल श्रम उन्मूलन हेतु चलाये जाने वाले बालश्रम रोकथाम अभियान हेतु श्रीमान डीसीपी साहब पश्चिम जोधपुर श्री राजेश कुमार यादव के आदेशानुसार व श्रीमान निशान्त भारद्वाज अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम के सुपरविजन में जिले में नाबालिंग बच्चों से कराये जा रहे बालश्रम की रोकथाम की कार्यवाही में आज मानव तस्करी विरोधी यूनिट जोधपुर पश्चिम टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आज 12 वीं रोड़ स्थित किसान होटल में एक नाबालिंग बालक से बालश्रम करवाते पाये जाने पर नाबालिंग बालक को नियमानुसार संरक्षण में लेकर बालकल्याण समिति जोधपुर के समक्ष पश किया जाने पर नाबालिंग बालक को बाल कल्याण समिति के आदेश से किशोर गृह मण्डोर मे दाखिल करवाया गया। ताबाद पुलिस आना सरदारपुरा पहुँच होटल मालिक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया गया।

**पुलिस टीम:-**

1. मन सीताराम भाकल उ.नि. प्रभारी मानव तस्करी विरोधी यूनिट जोधपुर पश्चिम।
2. श्री महिपाल कानि 862, मानव तस्करी विरोधी यूनिट जोधपुर पश्चिम।
3. श्री महेन्द्रसिंह ड्राईवर कानि नं 45 मानव तस्करी विरोधी यूनिट जोधपुर पूर्व

**भवदीय**

**प्रभारी**  
**मानव तस्करी विरोधी यूनिट,**  
**जोधपुर पश्चिम।**